उत्तर प्रदेश शासन

नागरिक सुरक्षा अनुभाग

संख्या-394/83-19-99सी0डी0/10

लखनऊ: दिनांक: 28 जून, 2024

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

वर्ष 1989 में नागरिक सुरक्षा विभाग में विशेष भर्ती अभियान के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के चयन हेतु अनेक पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया, जिसमें सहायक उप नियंत्रक (साधारण वेतनमान) के 05 पद सम्मिलित थे| उक्त विज्ञापन के अन्तर्गत अन्य के साथ श्री छिंतर मल मीणा द्वारा भी आवेदन किया गया था। वर्ष 1990 में सीधी भर्ती के माध्यम से आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत निदेशालय स्तर पर गठित चयन समिति द्वारा अनुसूचित जनजाति के सदस्य के रूप में सहायक उप नियंत्रक (साधारण वेतनमान) के पद पर श्री मीणा का चयन किया गया था। नागरिक सुरक्षा निदेशालय के आदेश संख्या-मीमो-5/नासु(निदे) अनु-1/9-12/90 दिनांक 28-06-1990 द्वारा नियुक्ति-पत्र निर्गत किया गया।

कालांतर में नागरिक सुरक्षा निदेशालय के आदेश संख्या-114/अनु-1/03/2007 दिनांक 11-01-2008 द्वारा श्री छिंतर मल मीणा को सामान्य अभ्यर्थी के रूप में सहायक उप नियंत्रक (वरिष्ठ वेतनमान) के पद पर तथा शासन के आदेश संख्या-690/छः ना०सु०/13-60सीडी/92 दिनांक 31-07-2013 द्वारा उप नियंत्रक के पद पर पदोन्नति की गई |

2- श्री मीणा राजस्थान के मूल निवासी है तथा मीणा जनजाति के सदस्य है, जो राजस्थान राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित है। श्री राजकुमार अग्रवाल, पूर्व सेक्टर वार्डन, मेरठ के शिकायती पत्र दिनांक 05-09-2015 कार्यालय में प्राप्त हुआ, जिसके द्वारा अवगत कराया गया कि श्री छिंतर मल मीणा का सहायक उप नियंत्रक (साधारण वेतनमान) के पद पर नियम विरूद्ध चयन किया गया है। शासन के पत्र संख्या-802/छः:ना०सु०-15-99सीडी/10, दिनांक 28-09-2015 द्वारा निदेशक, नागरिक सुरक्षा को प्रकरण की जाँच कराने के निर्देश के क्रम में निदेशक, नागरिक सुरक्षा द्वारा प्रकरण की जाँच तत्कालीन संयुक्त निदेशक, नागरिक सुरक्षा से करायी गयी। निदेशक, नागरिक सुक्षा के पत्र संख्या-1964/पी०ए०शिकायत/218/2015, दिनांक 17-12-2015 द्वारा जाँच आख्या दिनांक 11-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

12-2015 उपलब्ध कराई गयी, जिसमें उक्त शिकायती पत्र में उल्लिखित तथ्य सही पाये गये।

3- शासन द्वारा आरक्षण नियमों के विरूद्ध हुए श्री छिंतर मल मीणा के चयन को निरस्त किये जाने के संबंध में श्री मीणा, तत्कालीन उप नियंत्रक, नागरिक सुरक्षा गाजियाबाद से स्पष्टीकरण माँगा गया| श्री मीणा ने अपने पत्र संख्या-236/ना०सु०/व्य०पत्रा०/2019, दिनांक 26-04-2019 के माध्यम से स्पष्टीकरण दिनांक 22.04.2019 शासन को उपलब्ध कराया गया, जिसमें उल्लिखित किया गया कि वर्ष 1990 में जब सहायक उपनियंत्रक के पद पर चयन हेतु नागरिक सुरक्षा विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा विज्ञापन प्रकाशित किया गया तब सहायक उपनियंत्रक के पद पर चयन हेतु प्रकाशित विज्ञापन में भी यह उल्लिखित नहीं था कि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की सूची में मीणा जनजाति अधिसूचित नहीं है । तथा यह भी कहीं नहीं लिखा था कि किसी अन्य राज्य के अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा सहायक उपनियंत्रक के पद पर चयन हेतु आवेदन नहीं किया जायेगा | विज्ञापन में इस प्रकार की किसी भी शर्त का कोई उल्लेख नहीं था कि अनुसूचित जनजाति के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र अनिवार्य है | यदि प्रार्थी के चयन में किसी प्रकार की त्रुटि भी थी तो प्रार्थी के द्वारा गलत प्रमाण पत्र लगाने के वजह से नहीं थी क्योंकि प्रार्थी द्वारा तहसीलदार एवं कार्यपालक दंडनायक श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राजस्थान) द्वारा प्रदत्त अनुसूचि जनजाति का प्रमाण पत्र संलग्न किया था | यदि कोई त्रुटि चयन समिति द्वारा की गयी थी तो उसके लिए प्रार्थी को दण्डित नहीं किया जा सकता |

उक्त के दृष्टिगत प्रश्नगत प्रकरण में प्राप्त जाँच आख्या, निदेशक नागरिक सुरक्षा के अभिमत एवं श्री मीणा के स्पष्टीकरण पर सम्यक विचारोपरात एवं निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए शासन के आदेश संख्या-727/83-19-99सी०डी०/10, दिनांक 16-09-2019 द्वारा श्री छिंतर मल मीणा के सहायक उप नियंत्रक (साधारण वेतनमान) के पद पर आरक्षण नियमों के विरुद्ध हुए उनके चयन को निरस्त करते हुए उन्हें सेवा से पदच्युत (Dismiss) कर दिया गया |

4- शासन के आदेश दिनांक 16-09-2019 के विरूद्ध श्री मीणा द्वारा मा० उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ में 'रिट याचिका स०-26579/2019 श्री छिंतर मल मीणा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य' योजित की गयी| प्रश्नगत रिट याचिका को मेरिट पर सुनवाई करते हुए मा० उच्च न्यायालय के सिंगल बेंच द्वारा निर्णय दिनांक 22.03.2021 पारित किया गया, जिसमें शासन के आदेश दिनांक 16-09-2019 को रद्द (Quashed) कर दिया गया तथा याची (श्री छिंतर मल मीणा) को सभी परिणामी लाभों के साथ उप नियंत्रक के पद पर बने रहने की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

अनुमति दिए जाने के आदेश दिए गए| मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.03.2021 के मुख्य कार्यकारी अंश निम्नवत है:-

".....It is admitted fact that there is no bar in the advertisement that the candidates of another State cannot take the benefit of reservation of any caste, which has not been notified in the State of U.P. The Division Bench of this Court has already held in Sunil Kumar's case (supra) that if a person belonging to Scheduled Tribes of another State seeks employment on the basis of an advertisement issued in another State, they cannot be denied the benefit of reservation. It is also admitted fact that the petitioner had applied for the appointment under the Scheduled Tribes Category, as he belongs to 'Meena' Caste and this fact is very much in the knowledge of the appointing authority at the time when he got the appointment. The petitioner was selected and appointed and in due course of time, he got two promotions. It is not the case of the respondents that any fraud or forgery has been committed by the petitioner in getting the employment. The only ground taken by the respondents is that the category 'Meena' is not notified in the State of U.P., therefore, the petitioner is not entitled for the reservation in the 'Meena' category, however, the respondents have failed to show that there was bar that the candidates of another State under the SC/ST category were not entitled to the benefit of reservation.

In view of the above facts as well as the law as held by the Division Bench of this Court, the impugned order suffers from illegality and the same is liable to be set aside.

Accordingly, the writ petition is allowed. The impugned order dated 16.09.2019 passed by respondent no.2, contained at Annexure 13 to the petition is hereby quashed. The respondents are directed to allow the petitioner to continue on the post of Deputy Controller with all consequential benefits."

5- मा० उच्च न्यायालय के सिंगल बेंच का निर्णय दिनांक 22.03.2021 प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार प्रतीत नहीं होने एवं प्रकरण में विधिक प्रश्न अंतर्निहित प्रतीत होने के दृष्टिगत न्याय विभाग के परामर्शानुसार विभाग द्वारा मा० उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ में 'विशेष अपील संख्या-209/2021 उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य बनाम श्री छिंतर मल मीणा' योजित की गयी | मा० उच्च न्यायालय द्वारा मेरिट पर सुनवाई करते हुए प्रश्नगत विशेष अपील में कोई नया तथ्य नहीं पाया गया। अत: मा० उच्च न्यायालय की सिंगल बेंच के निर्णय दिनांक 22.03.2021 में हस्तक्षेप करने का औचित्य/आधार न पाते हुए मा० उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने अपने निर्णय दिनांक 06.03.2024 द्वारा विशेष अपील संख्या-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

209/2021 को खारिज (Dismissed) कर दिया गया है | मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.03.2024 के कार्यकारी अंश निम्नवत है:-

".....It appears that at the relevant time, when the appointment was accorded to the respondent , the issue as to whether a person belonging to Scheduled Tribes of other State was entitled to seek benefit of reservation in another State was not settled inasmuch as in Sunil Kumar vs. Life Insurance Corporation of India & others (supra), a Division Bench of this Court held that if a person , belonging to Scheduled Tribe of other State , seeks employment on the basis of advertisement in another State, he cannot be denied the benefit of reservation . Though the position of law has since been cristalized by judgment of Hon'ble Supreme Court in Ranjana Kumari vs. State of Uttrakhand and others: (2019) 15 SCC 664 .

However, the issue before this Court is whether the State/respondents, after 30 years of according appointment to the respondent, wherein, there has been no suppression worth the name , have any justification for putting an end to the appointment/employment on the ground that he was initially ineligible/lacked the qualification pertaining to his caste.

In the case of Md. Zamil Ahmed Vs. State of Bihar (supra), Hon'ble Supreme Court, on coming to the conclusion that it was a conscious decision taken by the State for giving appointment and therefore, there was no justification on the part of the State to wake up after lapse of 15 years and terminate the services on the ground of qualification.

A Division Bench of this Court, in Dr. Shakuntala Mishra National Rehabilitation University Thru. Its Registrar (supra), after taking into consideration large number of judgments on the issue, came to the following conclusion:

(59) Thus, this Court is of the view that once a selection is duly made, then in case there is any shortcomings in the said selection which is of such a nature that the same cannot be condoned, action has to be taken expeditiously. In the present case, there is no allegation that the writ petitioner/private respondent had misrepresented about their educational qualifications or their experience or where in any manner misconducted themselves in obtaining selection in the University. In absence of any fraud or misrepresentation having been committed by the writ petitioner/private respondent, the selection cannot be cancelled after long period of seven years."

In the present case, the respondent had worked for 30 years and had an unblemished career and therefore, in the light of the said judgments, for the alleged ineligibility, that also in a case where the legal position at the relevant time was uncertain, cannot be sustained.

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Insofar as, the judgment, in the case of Chairman and Managing Director, Food Corporation of India (supra) cited by counsel for the appellant is concerned, the said case pertains to the candidates, who had obtained certificates of belonging to reserved category, though they did not belong to such category. Present is not a case, wherein, the respondent, at any stage, has made any kind of misrepresentation and therefore, the said judgment has no application to the facts of the present case.

In view of the above discussion, the Judgment Passed by the Learned Single Judge, does not call for any interference.

The Appeal has no substance and the same is, therefore dismissed.

6- विशेष अपील संख्या-209/2021 में मा० उच्च न्यायालय के डबल बेंच द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.03.2024 की सत्यापित प्रति उपलब्ध कराते हुए श्री छितर मल मीणा ने अपने प्रत्यावेदन दिनांक 12.03.2024 द्वारा सभी परिणामी लाभों के साथ माह सितम्बर, 2019 से उप नियंत्रक के पद पर पुनर्स्थापित/बहाल किये जाने तथा वेतन का एरियर सहित अन्य सेवानैवृत्तिक लाभों का भुगतान करने का अनुरोध किया गया है | तत्क्रम में शासन के पत्र संख्या-216/83-2024, दिनांक 22.03.2024 द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में निदेशक, नागरिक सुरक्षा से संस्तुति सहित आख्या मांगी गयी| निदेशक, नागरिक सुरक्षा के पत्र संख्या-465/अनु-1/36/2021, दिनांक 02.04.2024 द्वारा आख्या उपलब्ध कराते हुए अवगत कराया गया कि उप नियंत्रक, नागरिक सुरक्षा के नियुक्ति प्राधिकारी शासन है, अतः मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही हेतु यथोचित निर्णय शासन स्तर से लिये जाने की संस्तुति की गयी है |

7- श्री मीणा द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-26579/19 में पारित निर्णय दिनांक 22-03-2021 एवं विभाग द्वारा योजित विशेष अपील संख्या-209/2021 में पारित निर्णय दिनांक 06-03-2024 में मा० उच्च न्यायालय द्वारा मुख्यत: निम्न तथ्यों को संज्ञान में लिया गया है:-

1. यदि किसी प्रदेश के अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति किसी दूसरे प्रदेश में रोजगार के लिए आवेदन करता है तो दूसरा प्रदेश उसे आरक्षण के लाभ से वंचित नहीं कर सकता है|
2. किसी पद के चयन/नियुक्ति के समय यदि आवेदक द्वारा कोई तथ्य छुपाया नहीं जाता है अथवा धोखाधड़ी नहीं की जाती है, तो लम्बे समय बाद उसके चयन/नियुक्ति से सम्बंधित कोई कमी पाए जाने पर उसका चयन समाप्त नहीं किया जा सकता है|

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3. किसी राज्य को चयन/नियुक्ति के समय ही सजग रहकर रिक्ति को भरना चाहिए। चयनित व्यक्ति की लम्बी सेवा अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात यदि उसके चयन में कोई त्रुटि पायी जाती है तो उसे सेवा से पृथक नहीं किया जा सकता है।

4. सहायक उप नियंत्रक के पद के सापेक्ष भर्ती हेतु निर्गत विज्ञप्ति में ऐसी किसी शर्त का उल्लेख नहीं किया गया था कि अन्य प्रदेशों के अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

5. श्री मीणा द्वारा आवेदन के समय न तो अपनी सूचना/विवरण को छुपाया गया है और न ही उनके द्वारा नियुक्ति पाने के लिए कोई धोखाधड़ी या जालसाजी किया गया है। चयन के समय चयन समिति इस तथ्य से भलीभांति परिचित थी कि वे राजस्थान राज्य के मीणा जाति के मूल निवासी हैं व मीणा जाति राजस्थान राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित है।

8- स्पष्ट है कि वर्ष 1990 में श्री छिंतर मल मीणा के सहायक उप नियंत्रक (साधारण वेतनमान) के पद पर हुए चयन एवं उनके उप नियंत्रक पद की सेवा को शासन के आदेश संख्या-727/83-19-99सी०डी०/10, दिनांक 16.09.2019 द्वारा इस आधार पर समाप्त की गयी थी कि मीणा जनजाति उ०प्र० राज्य में अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में अधिसूचित नहीं है| श्री मीणा की सेवा समाप्ति के इस आधार को रिट याचिका संख्या-26579/19 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 22.03.2021 द्वारा इस आधार पर ख़ारिज (Quashed) कर दिया गया कि सहायक उप नियंत्रक (साधारण वेतनमान) के पद पर भर्ती हेतु निर्गत अधिसूचना में दूसरे राज्य के अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ मिलने से निषेध नहीं किया गया था। साथ ही विभाग द्वारा योजित विशेष अपील संख्या-209/2021 में मा० उच्च न्यायालय द्वारा कोई नया तथ्य नहीं पाया गया है | अतः मा० उच्च न्यायालय द्वारा मेरिट पर सुनवाई करते हुए सिंगल बेंच के निर्णय दिनांक 22.03.2021 में हस्तक्षेप करने का औचित्य न पाते हुए विशेष अपील को ख़ारिज (Dismissed) कर दिया गया है |

इसके अतिरिक्त मा0 उच्च न्यायालय द्वारा इस तथ्य को स्पष्ट किया गया है कि समय-समय पर विभिन्न वादों में मा0 उच्च न्यायालय व मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा इस सम्बन्ध में आदेश दिए गए हैं कि यदि किसी प्रदेश के अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति किसी दूसरे प्रदेश में रोजगार के लिए आवेदन करता है तो दूसरा प्रदेश उसे आरक्षण के लाभ से वंचित नहीं कर सकता है।

9- प्रदेश में लागू राज्य मुकदमा नीति के आलोक में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या-26579/2019 में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 22.03.2021 एवं विशेष अपील

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-291/2021 में पारित आदेश दिनांक 06.03.2024 का परीक्षण किया गया| परीक्षणोपरांत पाया गया कि वर्ष 1990 में श्री छिंतर मल मीणा के सहायक उप नियंत्रक (साधारण वेतनमान) के पद पर हुए चयन को निरस्त किये जाने तथा उन्हें उप नियंत्रक पद सेवा से पदच्युत/बर्खास्त किये जाने हेतु शासन के आदेश संख्या-727/83-19-99सी०डी०/10, दिनांक 16.09.2019 में लिए गए आधार कि 'मीणा' जनजाति उ०प्र० राज्य में अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में अधिसूचित नहीं है, को मा0 उच्च न्यायालय के सिंगल व डबल बेंचों द्वारा मेरिट पर सुनवाई करते हुए ख़ारिज कर दिया गया है| साथ ही, प्रश्नगत प्रकरण में कोई विधिक बिंदु भी अन्तर्निहित प्रतीत नहीं होता है | अतएव शासन द्वारा मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या-26579/2019 में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 22.03.2021 का अनुपालन किये जाने का निर्णय लिया गया है |

10- प्रश्नगत प्रकरण में न्याय विभाग द्वारा निम्नवत परामर्श दिया गया है:-

रिट याचिका संख्या-26579/2019 में मा० उच्च न्यायालय के सिंगल बेंच द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 22-03-2021 के विरूद्ध योजित विशेष अपील संख्या 209/2021 निरस्त हो जाने एवं शासन द्वारा उसे चुनौती न दिये जाने से मा० न्यायालय के सिंगल बेंच का निर्णय/आदेश दिनांक 22-03-2021 किसी भी उच्चतर न्यायालय द्वारा संशोधित/ परिमारिजित न किये जाने के कारण बाध्यकारी है। अतएव विभाग द्वारा रिट याचिका संख्या-26579/2019 में मा० उच्च न्यायालय के सिंगल बेंच द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 22-03-2021 का अनुपालन किये जाने में किसी विधिक बाधा का होना प्रतीत नहीं होता है |

11- उपर्युक्त तथ्यों, न्याय विभाग के परामर्श एवं श्री छिंतर मल मीणा के प्रत्यावेदन पर सम्यक विचारोपरान्त वर्ष 1990 में श्री छिंतर मल मीणा के सहायक उप नियंत्रक (साधारण वेतनमान) के पद हेतु जारी नियुक्ति आदेश संख्या-मीमो-5/ना०सु०(निदे) अनु-1/9-12/90 दिनांक 28-06-1990 को बहाल करते हुए उन्हें दिनांक 16-09-2019 से उनकी तत्कालीन पद उप नियंत्रक, नागरिक सुरक्षा, गाजियाबाद के पद पर पुनर्स्थापित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं |

उपर्युक्तानुसार पुनर्स्थापना के फल स्वरूप उत्तर प्रदेश सिविल सर्विसेज रेगुलेशन के भाग-IV के अनुच्छेद-419 (ए) के प्रावधानानुसार श्री छिंतर मल मीणा की सेवाएं बहाल हो जायेंगी और उन्हें दिनांक 16-09-2019 से सभी परिणामी लाभों सहित अन्य सभी सेवानैवृत्तिक देय अनुमन्य होंगे |

नियुक्ति प्राधिकारी की ओर से,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

मनोज कुमार राय
विशेष सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव|

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- महालेखाकार, प्रयागराज, उ०प्र० |

2- निदेशक, नागरिक सुरक्षा, उ०प्र० |

3- जिलाधिकारी/नियंत्रक, नागरिक सुरक्षा, गाजियाबाद |

4- मुख्य कोषाधिकारी, गाजियाबाद |

5- श्री छींतर मल मीणा, उप नियंत्रक, नागरिक सुरक्षा |

6- गार्ड फाइल |

आज्ञा से,
जय सिंह
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।